☎Office 2222689

कुलसचिव
Registrar

महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ,
वाराणसी–221002
Mahatma Gandhi Kashi Vidyapith,
Varanasi-221002

पत्रांक / Ref. कु0स0–समिति / 638 / संकाया.–विभागा. / 2010 दिनांक / Date. 22 जुलाई, 2010

समस्त संकायाध्यक्ष / विभागाध्यक्ष / निदेशक / समन्वयक (स्ववित्तपोषित पाठ्यक्रम) / पदाधिकारीगण एवं अधिकारियों की बैठक दिनांक 14–07–2010 का कार्यवृत्त

समस्त संकायाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों / निदेशकों / पाठ्यक्रम प्रभारियों / पदाधिकारीगणों की बैठक मा0कुलपति जी की अध्यक्षता में दिनांक 14–07–2010 को मध्याह्न 12:00 बजे पंत प्रशासनिक भवन स्थित कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें अधोलिखित व्यक्ति उपस्थित हुए :–

1. प्रो0अवध राम, कुलपति – अध्यक्ष
2. प्रो0अजीज हैदर, संकायाध्यक्ष, मानविकी संकाय – सदस्य
3. प्रो0कृष्णचन्द्र पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय – सदस्य
4. प्रो0मणिभूषण पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाजकार्य संकाय – सदस्य
5. प्रो0एम0बी0शुक्ल, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य एवं प्रबन्धशास्त्र संकाय – सदस्य
6. प्रो0सुभाषचन्द्र सिंह, संकायाध्यक्ष, विधि संकाय – सदस्य
7. प्रो0सत्या सिंह, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संकाय – सदस्य
8. प्रो0मुन्नीलाल राम, संकायाध्यक्ष, छात्रकल्याण संकाय – सदस्य
9. प्रो0ओम प्रकाश सिंह, निदेशक, म0मो0मा0हिन्दी पत्रकारिता संस्थान – सदस्य
10. प्रो0श्रद्धानन्द, विभागाध्यक्ष, हिन्दी विभाग – सदस्य
11. प्रो0आर0पी0सिंह, प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, अंग्रेजी विभाग – सदस्य
12. प्रो0गयाराम पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, संस्कृत विभाग – सदस्य
13. प्रो0राघवेन्द्र पांथरी, विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग – सदस्य
14. डॉ0शशिदेवी सिंह, विभागाध्याक्ष, दर्शन विभाग – सदस्य
15. डॉ0अनिल कुमार उपाध्याय, विभागाध्यक्ष, पत्रकारिता विभाग – सदस्य
16. डॉ0प्रेमचन्द्र विश्वकर्मा, विभागाध्यक्ष, ललितकला विभाग – सदस्य
17. प्रो0सत्येन्द्रनाथ चतुर्वेदी, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग – सदस्य
18. डॉ0आर0पी0सिंह, प्रतिनिधि–विभागाध्यक्ष, मनोविज्ञान विभाग – सदस्य
19. प्रो0रघुवीर सिंह तोमर, विभागाध्यक्ष, राजशास्त्र विभाग – सदस्य
20. प्रो0कल्पलता पाण्डेय, विभागाध्यक्ष, शिक्षाशास्त्र विभाग – सदस्य
21. डॉ0अशोक कुमार मिश्र, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग – सदस्य
22. डॉ0सुरेन्द्र बहादुर सिंह, विभागाध्यक्ष, विधि विभाग – सदस्य
23. डॉ0राम प्रकाश द्विवेदी, विभागाध्यक्ष, गांधी अध्ययनपीठ – सदस्य
24. प्रो0महेश विक्रम सिंह, निदेशक, एम0टी0ए0 – सदस्य
25. श्री चतुर्भुजनाथ तिवारी, प्रतिनिधि–मुख्य गृहपति – सदस्य
26. प्रो0नन्दलाल, परीक्षा नियंत्रक – सदस्य
27. श्रीमती गीति कना सुर, वित्त अधिकारी – सदस्य
28. श्री विजय प्रकाश सिंह, प्रतिनिधि–पुस्तकालयाध्यक्ष – सदस्य
29. श्री आई0पी0झा, कुलसचिव – सचिव

................2

23/8/10

30. श्री एस0एन0सिंह, उपकुलसचिव–परीक्षा गोपनीय — सदस्य
31. श्री राजेश कुमार दीक्षित, सहायक अभियन्ता — सदस्य
32. श्री रामाज्ञा राय, सम्पत्ति अधिकारी — सदस्य
33. श्री सुभाषचन्द्र वर्मा, सहायक कुलसचिव – प्रशासन — सदस्य
34. श्री ओम प्रकाश, सहायक कुलसचिव – सम्बद्धता/वाद प्रकोष्ठ — सदस्य

बैठक में अधोलिखित निर्णय लिये गये :–

(1) कुलपति महोदय ने समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं पाठ्यक्रम प्रभारी को निर्देशित किया कि समय–सारिणी तत्काल तैयार करलें और उसकी एक प्रति कुलपति कार्यालय को उपलब्ध करा दें और तद्नुसार अध्ययन–अध्यापन कार्य की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

(2) बैठक में कुलपति महोदय ने समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक एवं पाठ्यक्रम प्रभारी को निर्देशित किया कि शासनादेश एवं विश्वविद्यालय के अध्यादेश में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार छात्रों की कक्षा में 75% उपस्थिति की अनिवार्यता का कड़ाई से अनुपालन किया जाय और सत्रारम्भ से ही छात्रों में इस प्रकार की सूचना प्रसारित की जाय।

(3) कुलपति महोदय ने समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया कि विगत दो वर्षों में शोध हेतु पंजीकृत छात्रों की निर्धारित उपस्थिति के सापेक्ष उनकी उपस्थिति का परीक्षण कर लें। जो छात्र नियमित उपस्थित न हों उनके सम्बन्ध में शोध अध्यादेश के आलोक में कार्यवाही सुनिश्चित करें।

(4) बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि आरक्षण नियमों का अनुपालन करते हुए निर्धारित प्रवेश सीमा के अन्तर्गत स्नातकोत्तर कक्षाओं में सम्बन्धित विभागाध्यक्ष एवं स्नातक कक्षाओं में सम्बन्धित संकायाध्यक्ष द्वारा प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी। इस कार्य हेतु विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष अपने सहयोग के लिए विभाग/संकाय के अध्यापकों की समिति अपने स्तर से गठित कर सकते हैं। प्रवेश हेतु मेरिट (अधिमानता सूची) के आधार पर अर्ह छात्रों को सूचना सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/संकायाध्यक्ष द्वारा रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाय।

(5) बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रवेश के समय प्रवेश लेने वाले छात्रों एवं छात्राओं तथा उनके अभिभावकों से रैगिंग प्रतिषेध के सम्बन्ध में गत वर्ष में निर्गत शासनादेश के अनुरूप शपथ–पत्र अनिवार्य रूप से लिया जाय। शपथ–पत्र का प्रारूप संकायाध्यक्ष–छात्रकल्याण संकाय से प्राप्त कर लिया जाय।

(6) बैठक में कुलपति महोदय ने निर्देशित किया कि रैगिंग प्रतिषेध अधिनियम–2009 के अनुसार विश्वविद्यालय के मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगाने का कार्य कुलानुशासक एवं सहायक अभियन्ता द्वारा सम्पादित किया जाय।

(7) बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वार्षिक परीक्षा में औपबन्धिक रूप से छात्रों को दी गयी अनुमति के आधार पर एल–एल0बी0 द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों को परीक्षा में बैठने हेतु औपबन्धिक (अस्थायी) रूप से प्रवेश–पत्र निर्गत किया जाय।

................3

(8) महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी द्वारा दिनांक 23 एवं 24 जुलाई, 2010 को आयोजित पूर्वी क्षेत्र कुलपति सम्मेलन एवं उससे सम्बन्धित गठित समितियों तथा कार्यक्रम के सम्बन्ध में सूचना से कुलपति महोदय ने बैठक में सदस्यों को अवगत कराया।

(9) बैठक में कुलपति महोदय ने नवम्बर, 2010 में नैक से मूल्यांकन कराये जाने एवं उससे सम्बन्धित तैयारियों के सम्बन्ध में संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देशित किया साथ ही मूल्यांकन के मानक के सम्बन्ध में चर्चा हुई

सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि नैक मूल्यांकन में एक्सीलेंस ग्रेड प्राप्त करने हेतु समस्त तैयारियाँ/औपचारिकताएँ अभी से पूर्ण करने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी जाय।

(10) बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि छात्रावास आवंटन हेतु मुख्य गृहपति द्वारा संकायाध्यक्षों एवं विभागाध्यक्षों की बैठक आयोजित कर प्रत्येक संकाय एवं विभाग के छात्रों के लिए सीट निर्धारित कर ली जाय जिसका आवंटन सम्बन्धित संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। तद्नुसार मुख्य गृहपति द्वारा छात्रों को कक्ष उपलब्ध कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। मुख्य गृहपति यथाशीघ्र बैठक आयोजित कर सीटों के निर्धारण की कार्यवाही सुनिश्चित कर लें और उसकी सूचना कुलपति एवं कुलसचिव, संकायाध्यक्ष एवं सम्बन्धित विभागाध्यक्ष को लिखित रूप में दे दें।

(11) बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सत्र 2010–11 में स्नातक द्वितीय एवं तृतीय खण्ड तथा स्नातकोत्तर द्वितीय खण्ड के नियमित छात्रों की दिनांक 31–07–2010 तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाय।

(12) बैठक में प्रो0के0सी0पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय ने अवगत कराया कि डॉ0 भगवानदास केन्द्रीय पुस्तकालय में अध्यापकों के अध्ययन हेतु निर्मित कक्ष से बहुत पहले पंखे हटा लिये गये जिसे लगवाये जाने हेतु सहायक अभियन्ता को अनेकों पत्र लिखा गया जिसपर अभी तक कोई कार्यवाही न किये जाने से अभियंत्रण विभाग की कार्य के प्रति उदासीनता परिलक्षित हो रही है। इस क्रम में कुलपति महोदय ने सहायक अभियन्ता को निर्देशित किया कि प्रो0के0सी0पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, समाज विज्ञान संकाय से सम्पर्क कर अध्यापक अध्ययन कक्ष में आवश्यक सुविधाओं की पूर्ति शीघ्र करा दें।

(13) बैठक में कतिपय विभागाध्यक्षों द्वारा ब्लैकबोर्ड एवं अध्यापकों के लिए फर्नीचर आदि के सम्बन्ध में चर्चा किया गया जिसपर कुलपति महोदय ने उक्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु सहायक अभियन्ता एवं सम्पत्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि कक्षाएं प्रारम्भ होने के पूर्व समस्त सुविधायें उपलब्ध करा दी जांय।

अन्त में अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद देकर बैठक समाप्त हुई।

(आई0पी0झा)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मा0कुलपति जी, मात्र सूचनार्थ प्रेषित।
2. वित्त अधिकारी।
3. समिति के समस्त सदस्यगण।
4. परीक्षा नियंत्रक।
5. सम्बन्धित पत्रावली।

22.07.10
कुलसचिव